Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax;2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

प्रकीर्ण परिवाद सं0 01/2024

मै0 दून बिजनेस स्कूल,
122– एम0आई0 01, सेलाकुई,
जिला– देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
मोहनपुर। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 31.08.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रर्कीण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 112/2023 मै0 दून बिजनेस स्कूल, 122– एम0आई0 01, सेलाकुइ, जिला–देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, मोहनपुर के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 17.02.2024 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी के कथनानुसार मंच द्वारा वाद संख्या 73/2021 में पारित निम्न आदेशानुसार *"मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा माननीय* ***Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3*** *के विनियमों का उल्लघन करते हुए किया गया विद्युत मापक* ***40.21%*** *धीमे*

अंकन के निर्धारण को निरस्त किया जाता है एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को संशोधित विद्युत बिल जारी करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही होगा।" विद्युत विभाग द्वारा आज दिनांक 27/04/2024 तक भी अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 17.02.2022 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि 06.05.2024 को मंच में अपनी आख्या पत्रांक संख्या 262 दिनांकित 02.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में मा0 मंच द्वारा परिवाद सं0 112/2023 में पारित आदेश दिनांकित 17.02.2024 के विरूद्ध खण्ड कार्यालय द्वारा मा0 उच्च न्यायाल, नैनिताल के समक्ष Filling No. WPMS/2697/2024,Reg No. 1060/2024 and CNR UKHC010058812024 EXECUTIVE VS DOON Filled on 23.04.2024 के द्वारा अपील दायर की गयी थी जिस पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 24.04.2024 को Stay Order पारित कर दिये गये है।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त सुनवाई तिथि में यह भी अवगत कराया गया था कि उक्त वाद में मा0 उच्च न्यायलय, नैनीताल में उक्त वाद में अगली सुनवाई तिथि माह 13.08.2024 में नियत की गई है जिसके फलस्वरूप मंच द्वारा उक्त वाद में दिनांक 29.08.2024 तिथि सुनवाई हेतु नियत की थी, सुनवाई तिथि दिनांक 29.08.2024 को विपक्षी द्वारा अपने पत्रांक संख्या 2396 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त वाद में दिनांक 13.08.2024 को मा0 उच्च न्यायालय, नैनिताल द्वारा सुनवाई के दौरान पुनः Stay Order जारी रखते हुए अगली सुनवाई 13.12.2024 को निर्धारित की गयी है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा मंच के वाद संख्या 112/2023 आदेश दिनांकित 17.02.2024 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायाल, नैनिताल के समक्ष Filling No. WPMS/2697/2024,Reg No. 1060/2024 and CNR UKHC010058812024 EXECUTIVE VS DOON Filled on 23.04.2024 के द्वारा अपील दायर की गयी, जिसके क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 24.04.2024 को Stay Order पारित किया गया है जिसे की दिनांक 13.08.2024 की सुनवाई में भी जारी रखा गया है।

अतः इस परिस्थित में मंच का मत है कि उक्त वाद प्रस्तुत मंच में आगे जारी रखने का कोई आचित्य नहीं है।

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल मे उक्त वाद Filling No. WPMS/2697/2024,Reg No. 1060/2024 and CNR UKHC010058812024 EXECUTIVE VS DOON Filled on 23.04.2024 मौजूदा समय में विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 24.04.2024 को Stay Order पारित किया गया है जो वर्तमान समय में भी लागू है। अतः इस परिस्थित में उक्त वाद मंच में आगे जारी रखने का कोई आचित्य नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जारी आदेश उभय पक्षों को मान्य होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31/08/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

31.08.2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 03/2024 (Misc)

Shri. Sanjay Bansal V/s **Executive Engineer, EDD (Mohanpur) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 29.08.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 29.08.2024 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 19.07.2024 के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत की गई। परिवादी की मूल शिकायत है, कि विपक्षी द्वारा वाद संख्या 18/2024 में पारित आदेश दिनांकित 19.07.2024 का आज तिथि दिनांक 12.08.2024 तक भी अनुपालन नहीं किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी की आख्या पत्रांक संख्या 2395 दिनांकित 28/08/20232 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्त श्री संजय बंसल, निवासी– ग्राम फुलसनी, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला–देहरादून के संयोजन सं0 **MP21423219463** के संयोजन को घरेलू श्रेणी से अघरेलू श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है तथा उपभोक्ता की चैकिंग तिथि दिनांक 07.05.2024 से अघरेलू से घरेलू संयोजन की विद्युत दरों के अन्तर को बिल में संशोधित कर समस्या का समाधान कर दिया गया है एवं उपभोक्ता को वहाट्सएप के माध्यम से **Consumer Ledger Details** की प्रति प्रेषित कर सूचित कर दिया गया है।

अतः विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व वाद संख्या 18/2024 के आदेश दिनांकित 19.07.2024 का अनुपालन कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/08/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29-08-2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 13/2024

श्री विनोद कुमार चौहान — परिवादी
निवासी– 60, व्योम प्रस्थ, कांवली रोड़,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.08.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत स्वीकृत भार कम किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि हमारे द्वारा उक्त विद्युत संयोजन का उपभोग घरेलू रूप में किया जा रहा है। वर्तमान में हमारा विद्युत बिल भी खपत के अनुसार सही आ रहा है, परन्तु बिना हमारे आवेदन के दिनांक 07.10.2023 को हमारे विद्युत भार को बिना किसी स्थलीय निरीक्षण के 2 KW से 4 KW किया गया एवं पुनः 02/2024 में हमारे विद्युत भार को बिना किसी निरीक्षण किये 4 KW से 5 KW कर दिया गया है। विद्युत बिल में 5 KW भार दर्शाया जा रहा है एवं 5 KW के हिसाब से विद्युत बिलों को हमसे वसूला भी जा रहा है, जबकि वर्तमान में भी हमारे सिंगल फेस मीटर से हमें विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जो कि UERC के नियमों के विरूद्ध है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः उपरोक्त मंच से निवेदन है कि हमारे विद्युत मापक की शुद्धता की जॉच करवाकर हमारा स्वीकृत विद्युत भार को कम करते हुए विद्युत बिलों को संशोधित कराने के आदेश पारित कराने की कृपा होगी।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 220, दिनांकित 07/04/2024 से मंच को अवगत कराया है कि मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत एल0टी0 रेगुलेशन,2020 की उपधरा 5.2.3 के अनुपालन उपभोक्ता द्वारा लगातार 03 माहों से स्वीकृत भार सीमा से अधिक क्षमता के विद्युत भार उपयोग संबंधी नोटिस दिनांक 15/09/2023 को निर्गत किया गया था। तद्पश्चात् आवेदन प्राप्त न होने एवं पुनः भार सीमा उल्लंघन के उपरांत ऑनलाईन सिस्टम से पूर्व माहों में एम0डी0 अधिक होने के फलस्वरूप विद्युत भार को 2 KW से 4 KW कर दिया गया।

माह जनवरी 2023 के उपरान्त यह प्रक्रिया ऑनलाईन होने के फलस्वरूप आर0ए0पी0डी0आर0पी0 से ही विद्युत भार बढाने हेतु नोटिस एवं आवेदन न प्राप्त होने की स्थिति में स्वतः विद्युत भार बढाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जिसके फलस्वरूप ऑनलाईन नोटिस दिनांक 08/01/2024 के पश्चात् विद्युत भार दिनांक 01/02/2024 को 4 KW से बढाकर 5 KW कर दिया गया है। महोदय उपभोक्ता द्वारा मीटर लगाये जाने हेतु कोई आवेदन का शुल्क जमा नहीं किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उलपब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार विपक्षी द्वारा उनका विद्युत भार बिना स्थलीय निरीक्षण के ही 02 KW से 04 KW कर दिया गया पुनः 02/2024 को उनका विद्युत भार बिना किसी स्थलीय निरीक्षण के 04 KW से 05 KW कर दिया गया, वर्तमान में उनके 05 कि0वा0 के विद्युत भार पर सिंगल फेज मीटर से सप्लाई की जा रही है जो कि मा0

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विद्युत नियामक आयोग के नियम के विरूद्ध है। विपक्षी द्वारा उक्त के संबंध में अवगत कराया गया है कि परिवादी के विद्युत मापक में एम0डी0 अधिक होने के कारण परिवादी का विद्युत संयोजन 02 कि0वा0 से 04 कि0वा0 किया गया, उसी के फलस्वरूप ऑनलाईन नोटिस दिनांक 08/01/2024 के पश्चात् विद्युत भार दिनांक 01/02/2024 को 04 KW से बढाकर 5 KW कर दिया गया है। महोदय उपभोक्ता द्वारा मीटर लगाये जाने हेतु कोई आवेदन का शुल्क जमा नहीं किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने के पश्चात् मंच इस मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को 05 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर सिंगल फेज मीटर से सप्लाई की जा रही है और 05 कि0वा0 विद्युत भार के अनुसार विद्युत बिल बनाये जा रहे है जो कि मान्नीय UERC के विनियमों का उल्लधन है । अतः इन परिस्थिति में मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 01.02.2024 के पश्चात् परिवादी के विद्युत संयोजन को 05 कि0वा0 के स्थान पर 04 कि0वा0 माना जाये एवं 04 कि0वा0 के अनुसार परिवादी के विद्युत बिल संशोधित किये जाये क्योंकि वर्तमान में परिवादी के परिसर पर सिंगल फेज मीटर ही स्थापित है एवं परिवादी को उक्त मापक से ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अतः इस परिस्थिति में विपक्षी परिवादी से 03 फेज मीटर स्थापित न होने की स्थिति में 05 कि0वा0 के संयोजन को सिर्फ कागजों में ही चलाये जाने से विपक्षी परिवादी से 05 किव0वा0 के विद्युत भार के अनुसार विद्युत बिल वसूलने का अधिकारी नही है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के विद्युत संयोजन को दिनांक 01.02.2024 से 05 कि0वा0 से 04 कि0वा0 में परिवर्तित करें एवं परिवादी के विद्युत बिलों को भी उक्त के क्रम में ही संशोधित करें यदि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

भविष्य में परिवादी को अधिकतम मांग 04 कि0वा0 से अधिक होती है जो मान्नीय UERC के नियमों का पालन कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/08/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27.08.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 19/2024

श्रीमती वीरा नेगी पत्नी श्री बलवीर सिंह नेगी
निवासी – जोगीवाला माफी, छिद्दरवाला
पो0ओ0 छिद्दरवाला, ऋषिकेश।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांकः 27.08..2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मैने विगत वर्ष उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 से एक कनैक्शन करवाया था, जो कि घरेलू कनैक्शन है जिसका बिल बहुत अत्याधिक आ रहा है, कई बार शिकायत करने पर भी निवारण नही हो पा रहा है। महोदय मेरा कनैक्शन श्रीमती बीना नेगी के नाम से है, कनैक्शन संख्या RK22228147875 तथा एकांउट नं0 42300497955 है।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 486, दिनांकित 25/05/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 19/2024 श्रीमती वीरा नेगी पत्नी श्री बलवीर सिंह नेगी, चकजोगीवाला माफी,

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

छिद्दवाला, के विद्युत संयोजन संख्या RK22228147875 मीटर संख्या 10344432 का विद्युत बिल माह 09/2023 में 51Kwh का कुल धनराशि 742 रू0 का निर्गत हुआ जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा दिनांक 09.10.2023 में जमा करा दिया गया। माह 10/2023 में उपभोक्ता का विद्युत बिल बिल 51 Kwh से 8496 Kwh तक का CDF बिल कुल धनराशि 12220.00 का निर्गत हुआ जिस कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आ रहा है

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार उनके द्वारा 12.09.2023 को प्राप्त बिल में अंतिम रीडिंग 51 Kwh थी, परन्तु उन्हें 24.10.2024 को 8445 यूनिट का बिल प्राप्त हुआ जिसमें पिछली रीडिंग 51 एंव वर्तमान रीडिंग 8496 दर्शायी गई जिसमें परिवादी को आपत्ति हैं। मंच द्वारा उक्त के क्रम में परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विवादित बिल चक्रों 12.09.2023 से 30.07.2024 अर्थात् 312 दिनों में 02 कि0वा0 की स्वीकृत भार पर कुल 12903 यूनिट की खपत दर्शायी गई है जो कि 41.35 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को 09/2023 के बिल चक्र में मीटर यूनिट के आधार पर बिल प्रेषित किया गया है, जिसका कि परिवादी द्वारा नियमित भुगतान भी किया जा रहा था परन्तु एकाएक बिल चक्र 10/2023 के उपरान्त परिवादी को उनकी वास्तविक खपत से अधिक के विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिसपर परिवादी को आपत्ति है।

अतः विपक्षी द्वारा 02 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 41.35 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गयी खपत को मंच तकनीकी आधार पर स्वीकार नहीं कर सकता है। विपक्षी परिवादी की विवादित खपत को एम0आर0आई0/तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी का दिनांक 22.09.2023 से दिनांक 30.07.2024 तक के प्रेषित

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विद्युत बीजकों को निरस्त कर उक्त बीजकों को पूर्व की तीन खपत एम०यू० के आधार पर उपलब्ध न होने के करण उक्त अवधि के बिलों को LDHF सूत्र (2x30x8x.4 = 192) के अनुसार संशाधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 22.09.2023 से दिनांक 30.07.2024 तक के प्रेषित विद्युत बीजकों को निरस्त कर उक्त बीजको को पूर्व की तीन खपत एम०यू० के आधार पर उपलब्ध न हाने के करण उक्त अवधि के बिलों को LDHF सूत्र (2x30x8x.4 = 192) के अनुसार संशाधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित वर्तमान विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः विद्युत मापक की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/08/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27.08.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 21/2024

श्री इरशाद अली,
निवासी– ग्राम– माजरी, पो0ओ0 सभावाला,
सहसपुर, जिला–देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
विकासनगर। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 28.08.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या VN21625477934 के विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका बिल रू0 700.00 से रू0 1200.00 तक आता था, परन्तु अक्टूबर–नवम्बर में उनका विद्युत मीटर स्पार्किंग करके जलने लगा, जिसकी शिकायत उनके द्वारा टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज करायी गयी थी, परन्तु उनका विद्युत मीटर दिसंबर माह में बदला गया तब तक उनका विद्युत मीटर स्पार्किंग करता रहा, कभी–कभी चिंगारी उठकर लाईट भी चली जाती थी, लगातार स्पार्किंग के कारण उनका विद्युत बिल रू0 7000.00 का आ गया, वह उपखण्ड अधिकारी के पास भी गये परन्तु उनका विद्युत बिल ठीक नहीं किया गया। अतः परिवादी का मंच से निवेदन है कि विद्युत बिल ठीक करने के आदेश पारित करने की की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1960 दिनांकित 06/06/2024 के द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है कि:–

1. परिवादी श्री इरशाद अली, निवासी– ग्राम– माजरी, पो0ओ0– सभावाला, सहसपुर, देहरादून, संयोजन संख्या VN21625477934 द्वारा मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष परिवाद सं0 21/2024 के माध्यम से विद्युत बिल संशोधन हेतु शिकायत दर्ज करायी गयी।
2. परिवादी द्वारा बताया गया कि नवम्बर माह में मीटर में स्पार्किंग होने के कारण उनके द्वारा 1912 पर शिकायत दर्ज करायी गयी है।
3. उक्त शिकायत से सम्बधित उपभोक्ता का विद्युत मीटर 09.12.2023 का बदल दिया गया।
4. परिवादी की शिकायत के आधार पर अभिलेखों की जॉच कर पाया गया कि परिवादी को प्रेषित विद्युत बीजक एम0यू0 के आधार पर निर्गत किये जा रहे है एवं विद्युत बीजक में किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है तथ बीजक पूर्ण रूप से सही पाया गया।
5. पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 12/09/2019 से 14/11/2019 अर्थात् 64 दिनों में 2 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 3358 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। परिवादी द्वारा इस अवधि में 3358 यूनिट उपभोग किया गया अर्थात् 64 दिन में 3358 यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 52.46 यूनिट प्रतिदिन की खपत का कोई भी प्रमाणं तथा एम0आर0आई0 आदि प्रस्तुत करने में विपक्षी नाकाम रहा है। 2 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 52 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 10/10/2024 से 14/12/2024 अर्थात् 65 दिनों में 1 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 894 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। परिवादी द्वारा इस

अवधि में अर्थात् 65 दिन में 894 यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 13.75 यूनिट अथात् 14 यूनिट प्रतिदिन की खपत का कोई भी प्रमाण तथा एम0आर0आई0 आदि प्रस्तुत करने में विपक्षी नाकाम रहा है। 1 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 14 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है।

विपक्षी ने अपनी आख्या में स्वयः भी स्वीकार किया है कि परिवादी द्वारा नवम्बर माह में मीटर स्पार्किंग होने के कारण 1912 पर शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसके क्रम में परिवादी का विद्युत मापक दिनांक 09.12.2023 को बदल दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि परिवादी के विद्युत मीटर में स्पार्किंग होने के कारण तकनीकि खराबी आई है, जिस कारण परिवादी का विद्युत मापक वास्तविक विद्युत खपत से अधिक की विद्युत खपत दर्शा रहा था, विपक्षी द्वारा भी परिवादी के विद्युत मापक को तकनीकि खराबी के कारण ही परिवादी की शिकायत के उपरान्त बदला गया है।

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में दर्शायी गयी 894 यूनिट के विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि (LDHF) सूत्र के अनुसार इस भी परिवादी की स्वीकृत मॉग एवं अधिकतम मॉग तथा मीटर बदलने से पूर्व एवं बाद की खपत के अनुसार एक बिल चक्र में 894 यूनिट की खपत असंभव है। विपक्षी द्वारा इस खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 14/12/2023 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत

10/2023, 08/2023 एवं 06/2023 क्रमशः (260+340+179/3=259.66 यूनिट अथात् 260 यूनिट) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 14/12/2023 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 10/2023, 08/2023 एवं 06/2023 क्रमशः (260+340+179/3=259.66 यूनिट अथात् 260 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/08/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28.08.'24

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 24/2024

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 बृजपाल सिंह
निवासी – सांई एन्क्लेव नकरौंदा,
देहरादून।

परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांकः 24.08.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा विद्युत बिल संशोधित किये जाने जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थीनी ने सांई एन्क्लेव बालावाला देहरादून में जो मकान खरीदा है उसमें पूर्व में विद्युत कनेक्शन प्रार्थीनी ने अपने नाम कराया है। बिजली के मीटर में डिस्प्ले साफ नही था और मीटर रीडर ने भी स्वीकार किया था कि मैं अनुमानित यूनिट बनाकर आपको बिल भेजता हूं। अप्रैल 2024 में जो बिजली का बिल आया वह 1770 रूप्ये का था, जब मीटर रीडर से कहा गया तो उसने कहा कि अगले बिल में मै यूनिट कम दिखा दूँगा। मई 2024 को प्रार्थीनी का बिल 67 यूनिट का आया लेकिन 1770 रू0 का बिल आज तक विभाग ने ठीक नहीं किया है। बिल ठीक करने और मीटर बदलने हेतु एक प्रार्थाना पत्र एस0डी0ओ0 मियांवाला

को दिनांक 25/04/2024 को दिया गया था, जिस पर मात्र प्रार्थीनी का बिजली का मीटर बदला गया है लेकिन बिजली के बिल की यूनिट तथा पूर्व बिल रू0 1770 का कोई भी निस्तारण विभाग द्वारा नहीं किया गया है। मीटर रीडर द्वारा इस प्रकार जो बिल भेजे जा रहे हैं वह मीटर रीडर की मनमानी के आधार पर है, जो कि नियमानुसार गलत है।अतः आपसे अनुरोध है कि मियांवाला विद्युत कार्यालय तथा मीटर रीडर पर कार्यवाही करते हुए प्रार्थीनी का 1770 रू0 का ठीक कराया जाए ताकि प्रार्थीनी बिल अदा कर सके। बिल ठीक न होने की स्थिति में प्रार्थीनी विभाग के विरूद्ध समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करेगी।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1361, दिनांकित 04/06/2024 से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती कृष्णा देवी संयोजन संख्या 9711314621199 के विद्युत मीटर की डिस्प्ले साफ नहीं होने के कारण अनुमानित बिल प्रेषित करने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्र के मीटर रीडर स्पष्टीकरण लिया गया है एवं उनके द्वारा अपने लिखित उत्तर में अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर पर धूल एवं गर्मी के कारण रीडिंग साफ–साफ प्रदर्शित नहीं हो रही थी लेकिन सांयकाल में मीटर पर रीडिंग प्रदर्शित होती थी एवं उसी आधार पर (MU) पर इनके द्वारा बिल निर्गत किये गये है, साथ ही उक्त समस्या के संबंध में मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता को मीटर बदलवाने हेतु शिकायत दर्ज कराने के लिए अवगत कराया गया। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री से ज्ञात होता है कि उनके सभी बिल (MU) पर निर्गत किये गये है एवं दिनांक 29.04.2024 को मीटर सैक्शन द्वारा उपभोक्ता के मीटर बदलने सम्बन्धी शिकायत के उपरान्त इनका मीटर बदल दिया गया एवं सिलिंग पर पुराने मीटर को नो डिस्प्ले दिखाया गया चूंकि उपभोक्ता के सभी बिल एम0यू0 के आधार पर निर्गत किये गये है जिस कारण उपभोक्ता के

बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन होना प्रतीत नहीं हो रहा है, अतः उक्त वाद को निस्तारित करने की कृपा करें।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे मौजूद कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार वास्तविक उपभोग के आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये जा रहे है जो कि नियमानुसार सही है तथा इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है, इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनतोष प्रदान नही किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/08/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

24.08.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 25/2024

श्री जितेन्द्र कुमार,
नि0 –28/35,2, न्यू बस्ती,
ब्लाक–आर्य नगर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 28.08.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है। परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के माध्यम से अवगत कराया गया है कि हमें मई माह में 9000 रुपये का बिल मिला है, उनके द्वारा इसकी शिकायत यूपीसीएल विभाग से भी की है, लेकिन यूपीसीएल का कहना है कि उनका मीटर रीडर उन्हें गलत मीटर रीडिंग दे रहा था, इसलिए उन्हें हर महीने 3000 रुपये का बिल दे रहे थे, अब उन्हें सही रीडिंग मिल रही है। उनके द्वारा यूपीसीएल को पर्याप्त पैसा भुगतान कर दिया गया है इसलिए कृपया बिल की राशि कम करें क्योंकि यह यूपीसीएल विभाग की गलती है। कृपया यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें।

उपरोक्त के संदर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 167 दिनांकित 14/06/2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि क विद्युत संयोजन सं0 7011441091665 श्री हृदय राम के नाम से घरेलू विधा में एक किलोवाट विद्युत भार संयोजित है। उक्त संयोजन पर मीटर सं० 50053079 स्थापित है। उक्त संयोजन का विद्युत बिल माह 11/2023 तक MU आधार पर निर्गत हुए है। माह 01/2024 का विद्युत बिल NA आधार पर रु0 3041.00 का निर्गत हुआ। जिसे उपभोक्ता द्वारा दिनांक 06.02.2024 को भुगतान कर दिया गया है। माह 03/2024 का विद्युत बिल 209 यूनिट (MU आधार) पर बना एवं माह 01/2024 के NA के फलस्वरुप Adjustment के कारण Consumer History के अनुसार रु0–1940.00/– का प्रदर्शित हो रहा है।

उपभोक्ता की शिकायत के पश्चात् मीटर रीडिंग चौक कराने पर दिनांक 27.05.2024 को रीडिंग 29791 पायी गयी।

महोदय अवगत कराना है कि उपभोक्ता की बिल की हिस्ट्री का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के प्रत्येक दो माह के विद्युत खपत लगभग 600 से 750 यूनिट के बीच है। वर्ष 2020 से उपभोक्ता के खपत का यही Pattern है। मीटर रीडर द्वारा माह मार्च के बिल में उपभोक्ता की कम / गलत रीडिंग भर दी गई। जिस कारण उपभोक्ता का बिल Negative हो गया। माह मई में मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता के मीटर की सही रीडिंग भरी गयी है। जिसको कि दिनांक 27.05.2024 को चौक कराने पर 29791 पायी गई। इस प्रकार उपभोक्ता का बिल उनकी वास्तविक खपत के अनुरुप ही है तथा ठीक है। उपभोक्ता के मीटर की MRI भी मंच में प्रस्तुत की जा रही है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए भिन्न–भिन्न तिथिया 10.06.2022, 20.06.2024, 08.07.2024, एवं 18.07.2024 नियत की गई थी, दिनांक 18.07.2024 की सुनवाई तिथि से दिनांक 10.07.2024 को ई–मेल के माध्यम से अवगत कराया गया था, बावजूद इसके न तो परिवादी उपरोक्त किसी तिथि में मंच के सम्मुख उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति में वाद आगे चलाने का कोई आचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद वादी के अदम पैरवी मैं खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी के अदम पैरवी मैं खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकता हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/08/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28.08.20
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 27/2024

उमेश यादव
निवासी– साईं लोक कालोनी
झीबरेडी, लेन–12, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 23.08.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मैं उमेश यादव, निवासी–सांई कालोनी का निवासी हूँ मेरा A/C 42300928360 है। इस शिकायत पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। मुझे बिजली का बिल इस प्रकार प्राप्त हुआ है, 11/2023 (337), 12/2023(10,654), तीसरा बिल (19,625) गणेशपुर, मोहनपुर, आराधर, ई0सी रोड शिकयत करने पर कोई निवारण नहीं निकला गणेशपुर के स्टॉफ ने 10,000 रूपये जमा करवा लिया उसके बाद भी कोई निवारण नही निकला। मार्च के माह में कनैक्शन दो बार काट दिया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप हमारे पिछले बिजली के बिल को जल्दी से जल्दी ठीक करायें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 364, दिनांकित 07/06/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 27/2024 श्री उमेश यादव पुत्र, श्री रमाकांत यादव, साई लोक कालोनी, लाईन नंबर 12, झीवरेड़ी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में निम्नवत् अवगत कराना है–

1. उपभोक्ता को सभी बीजक उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई मीटर रीडिंग के आधार पर वास्तविक खपत के अनुसार ही निर्गत किए गए हैं।
2. माह दिसम्बर 2023 व जनवरी 2024 के विद्युत बिल के आधार पर उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मीटर खराब होने की शिकायत दर्ज करवाई गई जिसके सापेक्ष कार्यवाही करते हुए दिनांक 31.01.2024 को उपभोक्ता का पुराना मापक बदलते हुए नया मापक स्थापित कर दिया गया।
3. मापक बदलने के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा उपखंड कार्यालय में अपने विद्युत बिल अधिक आने संबंधी समस्या से अवगत कराया गया जिसके सापेक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीक्षणशाला में मापक का परीक्षण कराया गया जिसकी आख्या महोदय को सादर प्रेषित है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 29.11.2023 से 12.01.2024 अर्थात् 44 दिनों में 01 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 2697 यूनिट की खपत दशायी गयी है। विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा 01 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर प्रतिदिन 61.29 अर्थात् 61 यूनिट की खपत दर्शायी गई है, विपक्षी उपरोक्त विवादित खपत को मान्नीय UERC के विनियमों के अनुसार साबित करने में नाकाम रहा है ऐसी दशा में 01 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर बिना प्रमाण दर्शायी 61 यूनिट प्रतिदिन की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों के उपरांत मंच

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित विद्युत बिल दिनांक 15.12.2023 एवं 12.01.2024 को निरस्त कर उक्त बिलों को पूर्व की तीन मीटर यूनिट की खपत उपलब्ध न होने के कारण परिवादी के उक्त बिलों को उनके विद्युत मापक की अधिकतम खपत पर LDHF सूत्र (1x 30 x 8 x.4= 96) यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होन योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 15.12.2023 एवं 12.01.2024 तक के प्रेषित विद्युत बीजकों को निरस्त कर उक्त बीजकों को पूर्व की तीन मीटर यूनिट खपत उपलब्ध न होने के करण उक्त अवधि के बिलों को LDHF सूत्र (1x 30 x 8 x.4= 96) के अनुसार संशाधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23/08/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

23.08.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 29/2024

श्रीमती सुशीला थापा,
निवासी– तिवारी फ्लेट,
पोस्ट –रायवाला,
जिला–देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उंत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
ऋषिकेश।

विपक्षी

दिनांक : 27.08.2024

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RK12311034743 के विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका दो कमरों का मकान है जिसका बिजली का बिल नौ माह में रू0 305546.00 का आया है, जो कि बहुत अधिक है और गलत रीडिंग का है, उनके मकान में ऐसी0 नही लगा हुआ है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत बिल को संशोधित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 576 दिनांकित 19/06/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सख्या RK12311034743 का बिल उपभोक्ता का घर लॉक रहने के कारण माह 11/2021 के उपरान्त माह 04/2024 में मीटर रीडिंग 3688 KWH से 107531 KWH तक रीडिंग का कुल billed Unit- 45606 KWH कुल धनराशि रू0 305535.00 का बिल CDF निर्गत हुआ।

उपभोक्ता द्वारा माह 04/2024 में चैक मीटर हेतु आवेदन करने के उपरान्त दिनांक 15.04.2024 को उपभोक्ता के मीटर पर चैक मीटर स्थापित किया गया सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत परीक्षण शाला शौल विहार ऋषिकेश की चैक मीटर रिपोर्ट अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर तथा चैक मीटर में कोई भी अन्तर नहीं पाया गया। वर्तमान में उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की वर्तमान रीडिंग 107904 KWH है।

विपक्षी द्वारा अपनी एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 618 दिनांकित 26.06.2024 के द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि उनके अवर अभियन्ता द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 288311 की MRI करने का प्रयास किया गया किन्तु विद्युत मीटर Make Genus Manufacturing Year -2015 का होने के कारण मीटर की MRI नहीं हो पायी है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 25/11/2021 से 10/04/2024 अर्थात् 867 दिनों जो कि लगभग 28.9 अर्थात् 29 माह का समय है में 2 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 45606 KWH यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। परिवादी द्वारा इस अवधि में अर्थात् 867 दिनों में 45606 KWH यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 52.60 यूनिट अथात् 53 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है विपक्षी उक्त विवादित खपत का कोई भी प्रमाण तथा एम0आर0आई0 आदि मंच के सम्मुख प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। ऐसी दशा में 2 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 53 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी ने अपनी आख्या में स्वयः भी स्वीकार किया है कि परिवादी का घर लॉक रहने के कारण माह 11/2021 के उपरान्त माह 04/2024 में मीटर रीडिंग 3688 KWH से 107531 KWH तक रीडिंग का कुल billed Unit- 45606 KWH कुल धनराशि रू0 305535.00 का बिल CDF निर्गत हुआ।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 5: Metering & Billing 5.2.1 (2)*** के विनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया है जिस कारण वर्तमान शिकायत की उत्पति हुई है, जिसे मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित दिनांकित 10.04.2024 को निरस्त कर उक्त बिल को 26.11.2021 से 10.04.2024 जो कि 867 दिनों की अवधि अथवा 28.9 माह अर्थात् 29 माह के आधार पर LDHF सूत्र (2×30×8×.4=192) यूनिट प्रति माह के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांकित 10.04.2024 को निरस्त कर उक्त बिल को 26.11.2021 से 10.04.2024 जो कि 867 दिनों की अवधि अथवा 29 माह के आधार पर LDHF सूत्र (2×30×8×.4=192) यूनिट प्रति माह के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित कर ***MRI*** पोर्ट युक्त विद्युत मापक स्थापित करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/08/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27.08.24
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739!
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 30 / 2024

श्रीमती महादेवी — परिवादी
निवासी– फ्लैट सं0 B-302 अंसल धाम
ग्राम हरिपुर कलां, ऋषिकेश।

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक :16.08 .2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उन्हें प्रेषित विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित कराया गया है। परिवादी का कथन है कि मेरा फ्लैट B-302 नंबर अंसल धाम में है, अस्थाई निवास है और जयपुर में स्थायी निवास करती हूँ। मेरे स्वास्थ्य व पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अधिकांश समय मेरा फ्लैट बंद ही रहा है। उपरोक्त दो वर्षो का अगर आप विद्युत उपभोग देखेंगे तो यह लगभग नगण्य रहा है। मैं अपने विद्युत बिल का भुगतान समय समय पर ऑनलाईन के माध्यम से नियमित रूप से करती रही हूँ। मैने अपने अंतिम विद्युत बिल का भुगतान 7 मई 2024 को रूपये 86 का किया था, जिसकी रसीद संख्या 13444070524WS000008 है इसका बिलिंग पीरियड 06 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 था और अंतिम रीडिंग 2082 थी, इसके पश्चात् 15 मई 2024 को मुझे मई माह के

Electri(ty Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिल की सूचना ऑनलाईन (UPCL App) के द्वारा मिली जिसकी बिल राशि और विद्युत उपभोग को देखकर मेरे होश उड गए। मेरा फ्लैट जो कि पिछले महीने से बंद था उसका विद्युत उपभोग 19452–2082 यानि की 17370 यूनिट दिखाया गया यह बिल 12 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 की अवधि का है। इस बिल में 1683 यूनिट का उपभोग दिखाते हुए भुगतान योग्य राशि 12085 रूपये प्रदर्शित की गई है। मैं पिछले कई वर्षो से गुर्दे की बीमारी से पीडित हूँ इस बिल को देख मेरे आश्चर्य और मानसिक पीडा का ठिकाना नहीं रहा। ट्रैन में आरक्षण तुरन्त उपलब्ध नही था, तो मै तुरंत अपने पति कि साथ कार से हरिद्वार रवाना हो गई, 16 मई 2024 को मै अपने पति के साथ उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन के आफिस गई और अपनी लिखित शिकायत श्रीमान एस0डी0ओ0 साहब के ऑफिस में दी और नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया, तो मेरे यहॉ चैक मीटर दिनांक 21 मई 2024 को लगा दिया गया जिसे 04 जून 2024 को विभाग के कर्मचारी द्वारा हटा दिया गया। मुझे बताया गया कि मेरा विद्युत मीटर जम्प कर रहा है। मान्नीय मेरा छोटा सा 336.38 वर्ग फीट का फ्लैट है जो मेरी बीमारी की वजह से अधिकांश समय बंद ही रहा है बिल में जो भुगतान योग्य 1683 यूनिट प्रदर्शित की गई है जबकि मीटर 17370 यूनिट का उपभोग दिखाता है वह पूरी तरह से तर्कसंगत नही है और दोषपूर्ण है। इस वजह से हमें आर्थिक शारीरिक और बेहद मानसिक पीडा हुई है। इसी तरह मैने 17 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 माह के बिल का 1596 रूपये का भुगतान किया था जबकि विद्युत उपभोग शून्य था इस तरह की मनमानी या अनियमिताएं हम वरिष्ठ नागरिकों जो बीमारी से ग्रस्त है उन्हें बेहद कष्ट होता है। अतः आपसे निवदेन है कि उपरोक्त विषय में संज्ञान लेकर जॉच करने का कष्ट करें और मुझे इस वजह के आर्थिक नुकसान और बेहद मानसिक पीडा से छुटकारा दिलाने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक 578, दिनांकित 19/06/2024 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0 RK22123078980 का माह 09/2023 में उपभोक्ता का विद्युत बिल कुल billed Unit-183 Kwh कुल धनराशि 9880.00 का तथा माह 03/2024 एंव माह 04/2024 में billed Unit-0 Kwh के बिल कुल धनराशि कमशः 877.00 तथा 86.00 रू0 के TDS Management Consulttant Pvt. Ltd. के द्वारा निर्गत हुआ है। जिन्हें उपभोक्ता द्वारा जमा करा दिया गया है।

उसके उपरन्त माह 05/2024 में उपभोक्ता का बिल मीटर रीडिंग 2082 Kwh से 19452 Kwh तक रीडिंग का कुल billed Unit-1683 Kwh कुल धनराशि 12082.00 का बिल CDF निर्गत हुआ है। अवर अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या NR30652921 का MRI करने का प्रयास किया गया था किन्तु विद्युत मीटर Make L&T Company Manufacturing year 2013 का होने के कारण मीटर का MRI नहीं हो पायी है।

दिनांक 10.06.2024 को मीटर रीडिंग का फोटो मंगाया गया जिसमें उपभोक्ता के परिसर पर वर्तमान रीडिंग 19700 Kwh है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि माह 05/2024 में विद्युत मीटर की रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल निर्गत किया हुआ है। उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर लगाने हेतु आवेदन करने के उपरन्त उपभोक्ता के विद्युत मीटर को चैक मीटर के माध्यम से चैक करने हेतु अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार उनके द्वारा अंतिम बिल 07 मई 2024 को रू0 86 का भुगतान किया था, जिसकी दिनांक 12.04.2024

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

को अंतिम रीडिंग 2082 थी, परन्तु उन्हें 15.05.2024 को 17370 यूनिट का बिल प्राप्त हुआ जिसमें पिछली रीडिंग 2082 एवं वर्तमान रीडिंग 19452 दर्शायी गई जिसमें परिवादी को आपत्ति हैं। मंच द्वारा उक्त के क्रम में परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विवादित बिल चक्र 12.04.2024 से 16.06.2024 अर्थात् 65 दिनों में 02 कि0वा0 की स्वीकृत भार पर कुल 177724 यूनिट की खपत दर्शायी गई है जो कि 2734.21 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येंक बिल चक्र में मीटर यूनिट के आधार पर बिल जारी किये जाते रहे जिनका की परिवादी द्वारा नियमित भुगतान भी किया जा रहा था परन्तु एकाएक बिल चक्र 05/2024 के उपरान्त परिवादी को उनकी वास्तविक खपत से अधिक के विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिसपर परिवादी को आपत्ति है।

अतः विपक्षी द्वारा 02 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 2731.21 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गयी खपत को मंच तकनीकी आधार पर स्वीकार नहीं कर सकता है। विपक्षी परिवादी की विवादित खपत को एम0आर0आई0/तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी का दिनांकित 14.05.2024, 16.06.2024 एवं 16.08.2024 को प्रेषित विद्युत बीजकों को निरस्त कर उक्त बीजको को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत (0+ 0 + 183 /3 = 61 यूनिट) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांकित 14.05.2024, 16.06.2024 एवं 16.08.2024 को प्रेषित विद्युत बीजकों को निरस्त कर उक्त बीजको को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत (0+ 0 + 183 /3 = 61

Electri y Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

यूनिट) के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित वर्तमान विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः विद्युत मापक की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/08/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

16.08.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 31/2024

श्री मनीष चांदना कृते एग्रिक ब्रदर्स — परिवादी
निवासी– 13 बी0 राजपुर रोड़, देहरादून
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 29/08/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी विपक्षी द्वारा उनकी वास्तविक खपत से अधिक के प्रेषित विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है, कि हमारा खाता सं0 40101534040 तथा मीटर संख्या 356163 है। हमे बिल सं0 39487231026000006 दिनांक 26.10.2023 को प्राप्त हुआ जो कि हमारे मासिक बिल व खपत से लगभग 10 गुना अधिक है। हमने इसकी शिकायत एस0डी0ओ0 परेड ग्राउन्ड से की तथा उन्होंने चैक मीटर के लिए हमारी प्रस्तावना ले ली, मीटर उसके बाद लैब में भेजा गया तथा डिफैक्टिव पाया गया, वहॉ पर तकनीकी विशेषज्ञ ने बताया की मीटर कभी तेज चल रहा है तथा कभी धीमा चल रहा है, और इस मीटर को एम0आर0आई0 के लिए निर्माता कम्पनी के भेजा जायेगा। इस दौरान विभाग ने इस डिफैक्टिव बिल के अनुसार हमसे आधा पैसा यानि कि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

36,000/– रू0 (छत्तीस हजार रूपये) जमा करा लिये। अब मीटर निर्माता कम्पनी की रिर्पोट में भी यह मीटर डिफैक्टिव पाया गया है लेकिन इस बिल सं0 39487231026000006 जिसमें की लगभग 18 गुना हमारी खपत बढ़ी हुई दिखा रहा है इसका संशोधन औसत खपत के अनुसार संशोधन करने में एस0डी0ओ0 साहब अपनी असमर्थता जता रहे हैं। महादेय यह मीटर हमारी एक दुकान का है, जिसमें की कुछ एल0ई0डी0 लाईटें, पंखे और एक ए0सी0 लगा है तथा उसका क्षेत्र केवल 850 स्क्वायर फिट है उसमें इतना अधिक बिल कैसे आ सकता है। महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बिल संख्या 39487231026000006 को हमारी पिछले एक साल के औसत खपत के अनुसार हमसे पैसा लिया जाये। कृपया आप अपने विभाग द्वारा एस0डी0ओ0 परेड ग्राउन्ड को इस सम्बन्ध में निर्देशित करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक शून्य, दिनांकित 18/07/2024 से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या CD61226018974 के परिवाद सं0 31/2024 श्री मनीष चांदना कृते एग्रिक ब्रदर्स 13 बी0 राजपुर रोड, देहरादून बनाम उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 आदि योजित के सम्बन्ध में उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 करायी गयी थी जिसमें उपभोक्ता का मीटर 23.30% स्लो पाया गया परन्तु उपभोक्ता के आग्रह पर पुराने मीटर संख्या 356163 को चैकिंग हेतु सम्बन्धित कंपनी को भेजा गया जिसमें कम्पनी द्वारा एम0आर0आई0 व Analysis रिर्पोट दी गयी है, उसमें मीटर को डिफेक्टिव पाया गया है, जिसमें उसके द्वारा CONCLUSION METER GOT DEFECTIVE DUE TO FIELD CONDITION दिया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उनके विद्युत मापक के धीमें चलने के कारण किये गये निर्धारण पत्रांक सं0 101 दिनांकित 29.05.2024 को समाप्त कराये जाने के संबंध में योजित कराया गया है।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से सुनवाई तिथि 18.07.2024 को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 करायी गयी थी जिसमें उपभोक्ता का मीटर 23.30% स्लो पाया गया परन्तु उपभोक्ता के आग्रह पर पुराने मीटर संख्या 356163 को चैकिंग हेतु सम्बन्धित कंपनी को भेजा गया जिसमें कम्पनी द्वारा एम0आर0आई0 व Analysis रिर्पोट दी गयी है, उसमें मीटर को डिफेक्टिव पाया गया है, जिसमें उसके द्वारा CONCLUSION METER GOT DEFECTIVE DUE TO FIELD CONDITION दिया गया है। उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच द्वारा विद्युत मापक की परिभाषा को परिभाषित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, मान्नीय UERC द्वारा विद्युत मापक की परिभाषा को निम्नवत् परिभाषित किया गया है :–

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 1 General 1.2 Definations (jj).

विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 करायी गयी थी जिसमें उपभोक्ता का मीटर 23.30% स्लो पाया गया। उक्त वाद के संबंध में मंच द्वारा मान्नीय अम्बैडसमैन (विद्युत 80 वंसत विहार फेज 1, देहरादून के वाद सं0 14/2022 में पारित आदेश दिनांकि 27.06.2022 पेज सं0

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

14 पैरा XXXV) में परिभाषित किये जाने का संदर्भ ग्रहण किया गया है जो निम्नवत् है:– **THE MRI Report is only indicative and represent any abnormality if present in the metering system. That the metering system may run slow or fast based on such abnormality and the slowness or fastness if any has to be established as per procedures given in the UERC supply code, Regulations, 2020**

विपक्षी द्वारा स्वंय भी स्वीकार किया गया है कि विवादित विद्युत मापक को मीटर मेक कंपनी को भेजा गया जिसमें कम्पनी द्वारा एम0आर0आई0 व Analysis रिर्पोट दी गई उसमें मीटर को डिफेक्टिव पाया गया। अतः उपरोक्त परिस्थिति के उपरान्त स्पष्ट है कि विपक्षी परिवादी के विद्युत मापक सं0 356163 की 23.30% धीमें चलने की पुष्टि तथ्यों सहित प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है, इन परिस्थितियों के उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 26.10.2023 को डिफेक्टिव मीटर मानते हुए निरस्त कर उक्त बिल को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 09/2023 08/2023 एवं 07/2023 क्रमशः (434 +1343+107/3 = 1171.66) अर्थात् 1172 यूनिट पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा परिवादी पर आरोपित स्लो मीटर निर्धारण पत्रांक सं0 101/न0वि0प0श0(के0)/उपाकालि दिनांकित 29.05.2024 को समाप्त करें एवं परिवादी को प्रेषित बिल

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनांकित 26.10.2023 को निरस्त कर उक्त बिल को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 09/2023 08/2023 एवं 07/2023 क्रमशः (434 +1343+107/3 = 1171.66) अर्थात् 1172 यूनिट के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/08/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29.08.2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

...Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 33/2024

श्रीमती माहदेवी,
पत्नी स्व0 तारा सिंह,
निवासी– मकान सं0 48,
पंचपुर कॉलोनी, एम0डी0डी0ए0, डालनवाला,
जिला–देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,(उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक : 28.08.2024
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 7021314111103 के विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका अप्रैल 2022 से उन्हें उनकी वास्तविक विद्युत खपत से अधिक के बिल प्राप्त हो रहे है, जब उनके द्वारा विद्युत विभाग से शिकायत की गयी तो, विद्युत विभाग द्वारा आश्वासन ही दिये जाते रहे एवं आश्वासनों के क्रम में उनसे विद्युत बिल जमा कराये जाते रहे एवं इस माह बिल जमा करते रहें, अगले माह संशोधित कर दिया जायेगा परन्तु आजतिथि तक विद्युत बिल संशोधित नहीं किये गये है। परिवादी द्वारा मंच के संज्ञान में लाया गया कि उनके घर में न्यूनितम विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिसकी पुष्टि मंच जॉच कराकर अपने स्तर से

भी कर सकता हैं। अतः मंच से निवेदन है कि उपरोक्त विद्युत बिलो को संशोधित कराने की कृपा करें एवं शिकायत के निस्तारण तक उनका विद्युत संयोजन विच्छेदित न किया जाये।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 171 दिनांकित 22/06/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्युत संयोजन संख्या 7021314111103 श्री तारा सिंह के नाम से घरेलू विधा में एक किलोवाट विद्युत भार का संयोजित है। उक्त संयोजन पर मीटर संख्या 96253080 स्थापित है। उक्त संयोजन के विद्युत बिल माह 06/2023 तक MU के आधार पर निर्गत हुए है। माह 06/2023 का विद्युत बिल रू0 2941.00 उपभोक्ता द्वारा दिनांक 22.07.2023 को रू0 2942.00 जमा किया गया। तत्पश्चात् माह 08/2023, 10/2023, 12/2023 व 02/2024 के विद्युत बिल मीटर रीडर द्वारा माह 08/2023 में गलत रीडिंग भरें जाने के कारण RDF आधार पर निर्गत हुए है। माह 02/2024 तक निर्गत RDF के बिलों के सापेक्ष उपभोक्ता द्वारा रू0 6980.00 दिनांक 13.03.2024 को जमा किये गये। उक्त RDF के विद्युत बिलों को माह 08/2023 की अन्तिम रीडिंग 5899 से माह 04/2024 की अन्तिम रीडिंग 9951 तक (कुल 4052 यूनिट) ऑनलाईन पोर्टल पर संशोधित किया गया। माह 04/2024 में संशोधित बिल की धनराशि रू0 16978.00 बनी तथा माह 06/2024 में 696 यूनिट का विद्युत बिल पिछले अवशेष सहित कुल रू0 21460.00 का है। जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है।

विपक्षी द्वारा अपनी एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 204 दिनांकित 18.07.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत संयोजन संख्या 7021314111103 श्री तारा सिंह के नाम से घरेलू विधा में एक किलोवाट विद्युत भार का संयोजित है। उक्त संयोजन पर मीटर संख्या 96253000 स्थापित है। उक्त संयोजन के विद्युत बिंल माह 06/2023 तक MU आधार पर निर्गत हुए हैं। माह 08/2023, 10/2023, 12/2023 02/2024 के विद्युत विल मीटर रीडर द्वारा माह 08/2023 में गलत रीडिंग भरी जाने के कारण RDF आधार पर निर्गत हुए हैं। माह 02/2024 तक निर्गत RDF के बिलों के सापेक्ष उपभोक्ता द्वारा रु. 6980.0 दिनांक 13.03.2024 को जमा किये गये, उक्त RDF के विद्युत बिलों को माह 08/2023 की अन्तिम रीडिंग 5899 से माह 04/2024 की अन्तिम रीडिंग 995, तक (कुल 4052 यूनिट) ऑनलाईन पोर्टल पर संशोधित किया गया। माह 04/2024 में संशोधित बिल की धनराशि का रू0 16972.10 बना तथा माह 06/2024 में 696 यूनिट का विद्युत बिल पिछले अवशेष सहित कुल रू0 214600 का है। जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है। साथ ही मा0 मंच को यह भी

...... Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

अवगत कराना है कि उपभोक्ता के आवेदन पर दिनांक 20.06.24 को चैक मीटर स्थापित किया गया था जिसे दिनांक 09.07.24 को उतारा गया। चैक मीटर व मेन मीटर में रीडिंग का कोई अन्तर नहीं पाया गया। अतः मीटर सही कार्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है। उक्त मीटर की एम.आर. आई. रिपोर्ट भी माननीय् मंच के सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 22/06/2023 से 11/02/2024 अर्थात् 4 विद्युत बिल चक्रों में RDF के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये, तत्पश्चात् एकाएक दिनांक 15.04.2024 को 4052 यूनिट का रू0 16978.00 धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्र के बाद।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 22/06/2023 से 11/02/2024 अर्थात् 4 विद्युत बिल चक्रों में RDF के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये, इससे पूर्व विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहे, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है।

विपक्षी ने अपनी आख्या में स्वयः भी स्वीकार किया है कि मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग भरे जाने के कारण परिवादी को उनकी वास्तविक खपत के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित नहीं किये गयें।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 5: Metering & Billing 5.2.1 (2)*** के विनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया है जिस कारण वर्तमान शिकायत की उत्पति हुई है, जिसे मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में दर्शायी गयी 4052 यूनिट के विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि (LDHF) सूत्र के अनुसार इस भी परिवादी की स्वीकृत मॉग एवं अधिकतम मॉग तथा मीटर बदलने से पूर्व एवं बाद की खपत के अनुसार एक बिल चक्र में 894 यूनिट की खपत असंभव है। विपक्षी द्वारा इस खपत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 15/04/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरंतर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 06/2023, 04/2023 एवं 02/2023 क्रमशः (102+495+544/3=380.33 यूनिट अथात् 380 यूनिट) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 15/04/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 06/2023, 04/2023 एवं 02/2023 क्रमशः (102+495+544/3=380.33 यूनिट अथात् 380 यूनिट) के आधार पर संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि विद्युत मापक की तकनीकि खराबी के कारण पुनः इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/08/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28.08.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 38 / 2024

श्रीमती नर्वदा देवी — परिवादी
निवासी– विशाल लोक कालोनी,
लेन नं0– 2, बंजारावाला देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 31/08/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मैं श्रीमती नर्वदा देवी पत्नी स्व0 भरत सिंह रावत, विशाल लोक कालोनी लेन नं0 2, बंजारावाला देहरादून में निवासरत हूँ। मेरे घर में घरेलू बिजली कनेक्शन लगा हुआ है जिसका मीटर नं0 10240809 है। महोदय मैं आपका ध्यान बढे हुए बिजली बिल की ओर आर्कषित करना चाहूँगी हमारे घर में जो भी बिजली के उपकरण लगे है उसका औसतन बिल प्रतिमाह 1000 से 2000 रू0 तक के मध्य तक आता है, जेकिन फरवरी 2023 में मीटर बदलने के पश्चात् बिल 6000 से 8000 रू0 तक आ रहा है जिसकी कॉपी हमने संलग्न की है। महोदय हमारे घर में कोई भी अतिरिक्त बिजली उपकरण नहीं लगाया गया है जिससे ज्यादा लोड बढे लेकिन फिर भी बिजली बिल दोगुना व कभी उससे भी ज्यादा आना रीडिंग में गलती या मीटर में कोई खराबी को दर्शाता है। अतः महोदय से सादर निवेदनं है कि मीटर को चैक करवाकर और फिर से रीडिंग लेकर वास्तविक खपत के अनुसार बिजली का बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 305, दिनांकित 03/07/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 38/2024 श्रीमती नर्वदा देवी, निवासी – विशाल लोक कालोनी, लेन नं0–2, बंजारावाला, देहरदून के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा विद्युत संयोजन सं0– SD15733539561 के सापेक्ष बिल अधिक आने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता का मीटर दिनांक 17.03.2023 को बदला गया उसके बाद से बिल आर0डी0एफ0 में चले आ रहे हैं। वर्तमान में बिल रीडिंग 2820 के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। उपभोक्ता का संशोधित बिल कुल य0 10,316.00 है, जिसमें से उपभोक्ता द्वारा 25,281.00 धनराशि जमा करा दी गयी है एवं वर्तमान में उपभोक्ता का फाईनल बिल रू0 (- 14569.00) है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत फरवरी 2023 में विद्युत मीटर बदले जाने के पश्चात् उत्पन्न हुई है। परिवादी का शिकायती पत्र मंच को प्राप्त होने के पश्चात् मंच द्वारा विपक्षी को आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अपने पत्रांक सं0 305 दिनांक 07.07.2024 के द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता का मीटर दिनांक 17.03.2023 को बदला गया उसके बाद से बिल आर0डी0एफ0 में चले आ र हैं, वर्तमान में बिल रीडिंग 2820 के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। उपभोक्ता का संशोधित बिल कुल रू0 10,316.00 है, जिसमें से उपभोक्ता द्वारा 25,281.00 धनराशि जमा करा दी गयी है एवं वर्तमान में उपभोक्ता का फाईनल बिल रू0 (- 14569.00) है। सुनवाई तिथि 04.07.2024 को विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या परिवादी को अवलोकन हेतु हस्तगत करायी गयी जिसके क्रम में परिवादी द्वारा सुनवाई तिथि 18.07.2024 को अपना प्रतिउत्तर

प्रस्तुत किया गया जिसमें अवगत कराया गया कि 17.03.2023 के पश्चात् उनके द्वारा रू0 33826 की धनराशि जमा करायी गयी है तथा संशोधित बिल रू0 10316 कटौती के पश्चात् रू0 23510 की धनराशि शेष रह जाती है।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी द्वारा अपने पत्रांक सं0 448 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन सं0– SD15733539561 के सापेक्ष बिल अधिक आने के संबंध में शिकायत की गयी है जिसका संशोधन मानवीय गणना के आधार पर गणना सीट तैयार कर किया गया है जिसमे उपभोक्ता का फाईनल बिल रू0 (–17,618.32) तैयार हुआ है।

मंच द्वारा उपरोक्त गणना सीट का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान किया जा चुका है। अतः वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31/08/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

31.08.2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 55/2024

Shri. Yogesh Aggarwal **V/s** **Executive Engineer, EDD, (North) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 29.08.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 29.08.2024 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में आख्या पत्रांक संख्या 328 दिनांकित 20.08.2024 प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा नये घरेलू विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 19.07.2024 को ऑनलाईन शुल्क जमा कर दिया था, परन्तु शिकायत दर्ज कराने की तिथि दिनांक 24.07.2024 उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है जिस कारण उन्हें संयोजन अवमुक्त नहीं हो पाया है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 292/वि0वि0उ0ख0/स0रो0 दिनांक 23.07.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विनित अग्रवाल व उमेश अग्रवाल द्वारा कनेक्शन पर आपत्ति दर्ज की गई है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को संयोजन अवमुक्त करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 328 दिनांकित 20.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर अवर अभियन्ता गढ़ीकैन्ट द्वारा नये विद्युत संयोजन पंजीकरण संख्या 483080724003 के विरूद्ध सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 20/1024 के द्वारा विद्युत मीटर स्थापित कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/08/2024 29.08.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य